न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 61/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. सुरेश कुमार काबरा पुत्र जमनालाल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा
2. रमेशचन्द्र काबरा पुत्र केदारमल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा

– प्रार्थी

–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री कैलाश आगाल अधिवक्ता –विपक्षी संख्या 01 की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.03.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी सुरेश कुमार काबरा पुत्र जमनालाल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड), हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर व अन्य सामान आदि का विक्रय कर रहा था। सुरेश कुमार काबरा पुत्र जमनालाल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.01.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार लिये गये खाद्य नमूने अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Edible Common salt – 29.92% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not more than 5.0% by weight होना चाहिये था। इसी प्रकार खाद्य नमूने अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Non Volarile ether extract on dry basis – 5.97% by weight पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not less than 7.5% by weight होना चाहिये था।

खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Edible Common salt content on dry basis % by wt. – 23.93% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not more than 5.0 होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जो इस्तगासा पेश किया हैं उसमें फर्म को कहीं भी पार्टी नहीं बनाया हैं, जबकि कानूनन फर्म को पार्टी बनाया जाना आवश्यक होता हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में कहीं भी यह नहीं दर्शाया है कि सैम्पल लेते समय फर्म के बिजनीश का इन्चार्ज कौन था? व्यापार के दैनिक कार्य कलापों को कौन देखता था, जबकि कानूनन यह

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

लिखना आवश्यक होता हैं। प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नही बनाये गये, सरकारी मुलाजिम व इनके विभाग के है। अचार मसाला सैम्पल में कोई कलर मीक्सर या स्वास्थ्य के लिय हानिकारक जैसी कोई मिलावट नही हैं। इन्जूरियस टू हैल्थ ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हैं। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2021 (1) सीजे (सीआरआई) सुप्रीम कोर्ट पेज 290 पेरा 22 व 23, 2017 (4) सीजे (सीआरआई) राज पेज 2012 पैरा 8 व 9, 2021 (2) सीजे (सीआरआई) राज पेज 488 पैरा 9 से 11, 2005 (1) आरसीसी पेज 390 पेश किये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से **प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार लिये गये खाद्य नमूने अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Edible Common salt – 29.92% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not more than 5.0% by weight होना चाहिये था। इसी प्रकार खाद्य नमूने अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Non Volarile ether extract on dry basis – 5.97% by weight पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not less than 7.5% by weight होना चाहिये था। खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) में Edible Common salt content on dry basis % by wt. – 23.93% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Not more than 5.0 होना चाहिये था।** इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म को पार्टी नहीं बनाया हैं, जबकि नियमानुसार बनाया जाना आवश्यक हैं। इस संबंध में यह है कि वक्त सैपलिंग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने लिये जाने वाले सैंपल के बिल आदि प्रस्तुत करने पर संबंधित फर्म को पार्टी बनायी जाती हैं, बिल के अभाव में कौनसी फर्म को पार्टी बनायी जावे? इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं देने पर फर्म को पार्टी नहीं बनायी जाती हैं।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण के इस्तगासे में यही कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि बिजनीश का इन्चार्ज कौन था। इस संबंध में यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी दुकान या बिजनेश से खाद्य पदार्थ का नमूना लेते समय केवल नमूने की ही सैपलिंग ली जाती हैं उसकी पार्टनरशिप या दुकान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की जांच नहीं की जाती हैं। सैंपल की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त होने के उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से उक्त प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्व कराया जाता हैं।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त सैंपल में कोई कलर मिक्स नही है, कोई मिलावट नहीं हैं, इन्जूरियस टू हैल्थ नहीं हैं। इस संबंध में यह है कि उक्त सैंपल की प्रयोगशाला अजमेर एवं मैसूर की जांच रिपोर्ट में सैंपल सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड अचार मसाला (काबरा बालाजी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी संख्या 01 पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 15,000/रूपये एवं विपक्षी संख्या 02 पर 15,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 सुरेश कुमार काबरा पुत्र जमनालाल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

3. रमेशचन्द्र काबरा पुत्र केदारमल काबरा फर्म साईं ट्रेडिंग कंपनी, पी – 10 पी –26 इंडस्ट्रियल स्टेट, जिला उद्योग केन्द्र के पीछे, पांसल चौराहा, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)